

द्वितीय मन्दान प्रणाली

जब किसी क्षेत्र में तीन या चार उम्मीदवार एक ही स्थान के लिए चुनाव लड़ते हैं तो द्वितीय मन्दान प्रणाली का भी प्रयोग अनुपसंख्यकों के लिए किया जाता है।

इस प्रणाली में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का प्रस्तावित घोषित कर दिया जाता है।

और फिर दूसरी बार मत लिए जाते हैं। इस प्रकार

बार यदि मन्दान प्रथम घोषित उम्मीदवार का मत देकर द्वितीय घोषित उम्मीदवार के पक्ष में मत देते हैं तो द्वितीय घोषित उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा। एक उदाहरण से यह बात समझ में आ जायेगी। मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान के लिए क, ख, ग, गी उम्मीदवार खड़े हैं।

मन्दानों के नीचे के पक्ष में मत दिए। प्रथम बार के परिणाम में 'क' को 2000 'ख' को 1500 और 'ग' को 1000 मत मिले। परिणाम में 'क' को निर्वाचित घोषित कर दिया गया 'ग' का नाम सबसे कम मत पाने के कारण खरी से हटा दिया जाता है।

उब फिर दूसरी बार निर्वाचन किया जाता है और इसमें यदि 'ग' को कम मत देने वाले सभी मन्दानों के पक्ष में मत दिए तो 'ख' को ही निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा 'क' को नहीं माल ही पहली बार उसका बहुमत प्राप्त था।

उदा- द्वितीय मन्दान प्रणाली लोकसभा शासन में लोकमत का प्रचार्य रूप में प्रतिष्ठित करती है।